भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2742
सोमवार, 28 मार्च, 2022 (7 चैत्र, 1944 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

'अफर्मेटिव एक्शन' योजना

2742. श्री नीरज डांगीः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एअर इंडिया के निजीकरण के पश्चात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रोजगार और उनके हितों को सुरक्षित करने हेतु कोई 'अफर्मेटिव एक्शन' योजना बनाई गई है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि एअर इंडिया की केवल एक सहायक कम्पनी, जो लाभ कमा रही थी, को टाटा को बेचा गया है; और
(घ) यदि विनिवेश आवश्यक था, तो घाटे में चल रही शेष सहायक कम्पनियों का विनिवेश पहले क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) और (ख): सरकार, एयर इंडिया और सामरिक भागीदार (एसपी) यानी मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित शेयर खरीद करार (एसपीए) में यह प्रावधान है कि, कार्यनीतिक भागीदार, समापन तिथि के बाद 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज की सामाजिक रूप से वंचित श्रेणियों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के कर्मचारियों की, संख्या में कमी करने की स्थिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों और समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या में, अन्त में छंटनी की जाएगी / अन्त में उनकी सेवा समाप्त की जाएगी।

शेयर खरीद करार में यह भी प्रावधान है कि कंपनी और/या एआईएक्सएल, कर्मचारियों के लिए लागू विनियमों और स्थायी आदेशों के अथवा लागू कानून के अनुसार, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी के अलावा क्लोजिंग तिथि से एक वर्ष तक किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेगा।

(ग) : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) और इसकी पांच सहायक कंपनियों के कार्यनीतिक विनिवेश पर विचार

करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन दे दिया था। सीसीईए ने समय-समय पर, कार्यनीतिक विनिवेश संबंधी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एयर इंडिया स्पेसिफिक आल्टरनेटिव मेकेनिज़्म (एआईएसएएम) के गठन को भी मंजूरी दी। एआईएसएएम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय लिया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस लाभ कमाने वाली इकाई है और द्विपक्षीय अधिकारों का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय परिचालन कर रही है, अत: इसे एयर इंडिया के साथ इसकी सहायक कंपनी के रूप में बेचा जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी या किन्हीं शेयरों के हस्तांतरण पर संयुक्त उद्यम करार के प्रतिबंधों के मद्देनजर, एयर इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम, एयर इंडिया एसएटीएस (एआईएसएटीएस) के शेयर बेचने का निर्णय लिया गया था।

(घ): एआईएसएएम ने यह नोट किया कि एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई) घाटे में चल रहे थे, जबकि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) लाभ में चल रही थी। इन सहायक कम्पनियों को अलग से बेचने से, बोली लगाने में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बोलीदाताओं की पात्रता, आमतौर पर कम प्रतिबंधात्मक होगी। शेष सहायक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा शुरू कर दी गई है।

*****